<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आयुर्वेद घोटाला प्रकरण) लखनऊ।</u>
<u>जमानत आवेदन संख्या–7689/2022</u>
सी.एन.आर नं0 यू0पी0एल0के0ओ01013161–2022
रबीउल उर्फ शेख रुबेल, आयु लगभग 24 वर्ष, पुत्र अल अमीन, निवासी–ग्राम सनकी बाघा, जिला बुलना, बांगलादेश।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ0प्र0 राज्य ..... विपक्षी।

मु0अ0सं0–762/2021
धारा–307 भा0दं0सं0 एवं धारा 14 दि फारेनर्स एक्ट 1946
थाना–चिनहट, लखनऊ।

<u>03.09.22</u>

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र</u>

आवेदक/अभियुक्त रबीउल उर्फ शेख रुबेल, आयु लगभग 24 वर्ष, पुत्र अल अमीन, निवासी–ग्राम सनकी बाघा, जिला बुलना, बांगलादेश की ओर से मु0अ0सं0–762/2021, धारा–307 भा0दं0सं0 एवं धारा 14 दि फारेनर्स एक्ट 1946 थाना चिनहट, लखनऊ के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी की बहन काजल की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की बहन काजल ने पूरक शपथपत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि उसके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में गलती से अभियुक्त का नाम "रबीउल उर्फ रोज रुबेल" लिख गया है जबकि अभियुक्त का सही नाम "रबीउल उर्फ शेख रुबेल" है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्व पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 14 फारेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट, 1973 (FEMA) गलत दर्ज किया गया है, जो अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा–3 में अंकित है, को सही करते हुये धारा 14 दि फारेनर्स एक्ट, 1946 लिखने की अनुमति प्रदान की जाये। अतः जमानत प्रार्थनापत्र इस पूरक शपथपत्र के प्रकाश में पढ़ा जाये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को दिनांक 11.10.21 को गिरफतार किया गया है। अभियुक्त को बिना किसी विवेचना के गिरफतार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्व अन्य मुकदमों में एफ0आई0आर0 पंजीकृत की गयी है, जिसका विवरण प्रार्थनापत्र के पैरा 8 में वर्णित है। अभियुक्त के विरुद्व पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी साक्ष्य के दर्ज की गयी है। अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में गलत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। अभियुक्त एक विकलांग व्यक्ति है। प्रार्थी के विरुद्व आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। अभियोजन कथानक गलत एवं आधारहीन है। अभियुक्त कानून को मानने वाला बांग्लादेशी नागरिक है। अभियुक्त द्वारा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में दाखिल नही किया गया है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने आपत्ति करते हुये कहा है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया है तथा उसके कब्जे से विदेशी मुद्रा, असलहे, कारतूस तथा डकैती डालने में प्रयुक्त औजार बरामद किये गये है। अतः जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

जमानत प्रार्थनापपत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा थाने की आख्या एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक घनश्याम मणि त्रिपाठी मय हमराह कां0 कृष्णा सिंह, कां0 सुमित कुमार राय अन्य पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र, रात्रि गश्त व तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि क्राईम टीम पूर्वी जोन कमिश्नरेट, लखनऊ द्वारा मल्हौर रेलवे ट्रैक के आस पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के लोकेशन के बावत अवगत कराया

गया, जिसके संबंध में अफसरान बाला को अवगत कराते हुये निर्देशानुसार मौके पर पर्याप्त पुलिस बल बुलाकर रेलवे ट्रैक के आस पास के इलाको में काम्बिंग व सर्च अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा पूर्व से क्षेत्र मे रवानाशुदा उ0नि0 सुदर्शन सिंह, उ0नि0 अजय शुक्ला एवं अन्य तथा अन्य कर्मचारीगण को मल्हौर रेलवे स्टेशन पर तलब किया गया। अफसरान वाला के आदेश के क्रम में उ0नि0 रजनीश वर्मा प्रभारी, क्राइम टीम, पूर्वी जोन मय हमराह कर्मचारीगण कार्यवाही हेतु आये। हम लोग मल्हौर रेलवे स्टेशन से टेरा खास बाराबंकी मार्ग की तरफ बढ़े थे कि ट्रैक के दोनो तरफ की झाड़ियों से कुछ लोग एकाएक निकलकर भागने लगे। हम लोग ललकारते हुये उक्त लोगों का पीछा करने लगे। एस.एच.ओ.मय टीम द्वारा घेराबंदी कर आगे से ललकारते हुये रोका गया। अपने आपको घिरता देखकर अचानक हम पुलिस वालो के ऊपर निशाना लगाकर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे तथा आक्रामक होकर हम पुलिस वालो के ऊपर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने लगे। उनके द्वारा चलायी गयी एक गोली क्राइम टीम पूर्वी के कां0 रिंकू कुमार के बाजू को छूते हुये निकल गयी तथा बाल–बाल बच गये, फिर भी हल्की चोटें आयी। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ मौके पर अपने सर्विस शस्त्र से फायरिंग की गयी, जिससे घबराकर 05 व्यक्ति भागने में सफल रहे तथा तीन लोग मौके पर पकड़ लिये गये। पुलिस बल द्वारा अपने को बचाते हुये अन्य मौजूद पुलिस बल के सहयोग से अभियुक्तगण को पकड़ लिया गया। एक ने अपना नाम रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन, दूसरे ने अपना नाम आलम उर्फ अल अमीन, पुत्र सिददी काकून तथा तीसरे ने अपना नाम रबीउल, पुत्र मंसूर इस्लाम बताया। अभियुक्त रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन की जामातलाशी में दाहिने हाथ में पकड़ा 01 कटटा 315 बोर व बगल में जमीन पर पड़ा एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पहने पैण्ट के दाहिने जेब से 2000 रुपया नकद विदेशी मुद्रा (बांग्लादेशी) तथा 9000/–रुपया नकद भारतीय मुद्रा बरामद हुआ। बांग्लादेशी मुद्रा के विषय में पूछने तथा बांग्लादेश से भारत आने का वीजा व पासपोर्ट मांगने पर अभियुक्तगण दिखा न सके। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त रबीउल पुत्र मन्सूर इस्लाम ने बताया कि हम लोगों का एक खूंखार अर्न्तराष्ट्रीय डकैतों का गिरोह है। मेरे गिरोह का सरगना रबीउल उर्फ शेख रुबेल तथा हमजा व असलम है, जिनके अगुवायी में हमारा गिरोह काम करता है। हम लोग रेलवे ट्रैक के बगल बनी कालोनियों के अच्छे घरो की रेकी कर उन्हें दिन में ही चिन्हित कर डकैती की घटना का अंजाम देते है। बांग्लादेश से लखनऊ आकर डकैती करने के संबंध में पूछा गया तो बताया कि हम लोग छिपकर अवैधानिक तरीके से भारत व बांग्लादेश का बार्डर पार करते है तथा लखनऊ इसलिये आते है कि रेलवे ट्रैक जो शहर के अंदर काफी दूर तक बना हुआ है, जिसके किनारे अच्छे–2 मकानों की कालोनियां बनी हुई है, रेलवे ट्रैक पर आवागमन में हम लोगों को पुलिस का खतरा भी कम रहता है। उस शहर को कुछ दिनों के लिये छोड़कर वापस जाकर कलकत्ता में चोरी का सामान बेचकर वापस बांग्लादेश चले जाते है। हम लोगों ने मिलकर कई जगह पर डकैती डाली है। लखनऊ के अतिरिक्त वाराणसी, उन्नाव, दिल्ली व मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। पिछले साल इसी महीने में मल्हौर रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 500 मी. की दूरी पर पार्क के सामने बने एक बड़े घर में डकैती डाली थी, जिसमें हम सब लोग थे। दौरान घटना एक पुरानी मोटर साईकिल व सवा लाख रुपया नगद तथा दो–तीन मोबाईल मिला था। जो सवा लाख रु0 व मोबाईल की बेंच से हम लोगों को हिस्से में मिला था, जिसका हिस्सा अभी तक हमारे गिरोह के सरगना द्वारा हम लोगों को नही दिया गया था। दो दिन पहले रवीउल उर्फ शेख रुबेल को 7000/–रु0, आलम उर्फ अल अमीन को 7800/–रु0 नगद व मुझे 10,200/–रु0 नगद दिया था तथा यह दो पायल व 1600/–रु0 थाना माल के फूलतारा गांव की घटना का है। हम लोगों ने कई जगह पर मिलकर डकैती डाली है। कुछ दिन पूर्व गोमती नगर के विराट खण्ड में, वर्ष 2020 के अन्त में चिनहट में, उसी समय विभूति खण्ड के विराज खण्ड में भी हम लोगों ने भरवारा रेलवे क्रासिंग के निकट घटना कारित किया था।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 11.10.21 की फर्द मुठभेड़ में पुलिस पार्टी की तीन टीम द्वारा अभियुक्तगण रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन, आलम उर्फ अल अमीन, पुत्र सिददी काकून तथा रबीउल, पुत्र मंसूर इस्लाम को गिरफतार किया गया है तथा अभियुक्तगण असलम, नासिर उर्फ नसीर, नूरुल इस्लाम, शहीन, शुभान, बिल्लाल तथा हमजा मौके से भागने मे सफल हो गये। तत्पश्चात दिनांक 18.10.21 को अभियुक्त हमजा पुलिस मुठभेड़ में

मारा गया। अभियुक्तगण रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन, आलम उर्फ अल अमीन, पुत्र सिददी काकून तथा रबीउल, पुत्र मंसूर इस्लाम के विरुद्व आरोपपत्र अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. व धारा 14 विदेशी अधिनियम 1946 प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण असलम, नासिर उर्फ नसीर, नूरुल इस्लाम, शहीन, शुभान तथा बिल्लाल के फरार रहने के कारण उनके विरुद्व अभी विवेचना प्रचलित है। दिनांक 11.10.2021 को इस पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा एक अदद पिस्टल, दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक अदद तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस 30 बोर, एक अदद धारदार बांका लोहे का, एक अदद मजबूत नुकीला सब्बल लोहा ताला व लाक तोड़ने वाला, एक अदद छोटा पेचकस, एक अदद बड़ा पेचकस, एक अदद प्लास लाक व ताला तोड़ने वाला उपकरण, दो जोड़ी पायल सफेद धातु की, 30,600/—रु0 नगद, 5000/—रु0 बांगलादेशी मुद्रा, एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक भी बरामद की गयी है। अभियुक्त रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन की जामातलाशी में दाहिने हाथ में पकड़ा 01 कटटा 315 बोर व बगल में जमीन पर पड़ा एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पहने पैण्ट के दाहिने जेब से 2000 रुपया नकद विदेशी मुद्रा (बांग्लादेशी) तथा 9000/—रुपया नकद भारतीय मुद्रा बरामद हुआ।..... रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये है जिसमें एक गोली क्राइम टीम पूर्वी के कां0 रिंकू कुमार के बाजू को छूते हुये निकल गयी है तथा वे बाल—बाल बच गये है। जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त के विरुद्व 6 आपराधिक वाद लम्बित होने का कथन किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण घटनाक्रम में अभियुक्त रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया है जिसमें कां0 रिंकू कुमार के बाजू में एक गोली छूते हुये निकल गयी है। साथ ही अभियुक्त के विरुद्व बिना पासपोर्ट एवं वीजा अनुमति के भारत में अवैध रुप से प्रवेश करने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने का अभियोग है। अपने जमानत प्रार्थनापत्र में भी अभियुक्त ने स्वयं का बांग्लादेश का पता अंकित किया है। जमानत प्रदान किये जाने से अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना है। अभियुक्त द्वारा उसके पास से बरामद बांग्लादेशी मुद्रा रखे जाने का कोई कारण नही बताया गया है और न ही यह बताया गया है कि उसे यह बांग्लादेशी मुद्रा किस स्रोत से प्राप्त हुई है। प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त नही है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **रबीउल उर्फ शेख रुबेल, पुत्र अल अमीन** का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

(डा. अवनीश कुमार)
विशेष न्यायाधीश, आयुर्वेद घोटाला प्रकरण,
लखनऊ।
03.09.2022